



क्रमांक 109 /बै.प्र./स्थायी समिति/2015

बिलासपुर दिनांक : 11/12/15

॥ अधिसूचना ॥

इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक 140/बै.प्र./स्थायी समिति/2013 बिलासपुर दिनांक 25.03.2013 के अनुक्रम में, केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 29 एवं परिनियम क्रमांक-38 के तहत निर्मित विनियम के प्रावधानानुसार, विद्यापरिषद् की स्थायी समिति में नामांकित सदस्य क्रमशः प्रो० प्रतिभा जे. मिश्रा, आचार्य-समाज कार्य तथा प्रो० जी.के. पात्रा-आचार्य रसायनशास्त्र का अधिष्ठाता-अध्ययनशाला के रूप में कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण उत्पन्न रिक्तियों पर कुलपति महोदया द्वारा प्रो० पी.के. बाजपेयी, आचार्य-शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त भौतिकी, अधिष्ठाता अध्ययनशाला-भौतिकीय विज्ञान एवं प्रो० अनुपमा सक्सेना, आचार्य-राजनीति विज्ञान, अधिष्ठाता अध्ययनशाला-समाज विज्ञान को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति में समिति के शेष कार्यकाल अर्थात् दिनांक 24.03.2016 तक के लिए सदस्य नामांकित किया गया है।

विद्यापरिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से 04 सदस्यों का नामांकन विद्यापरिषद् की स्थायी समिति में किये जाने के विनियम में वर्णित प्रावधानानुसार, विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 23.11.2015 में प्रकरण पर विचारोपरान्त अध्यक्ष-विद्यापरिषद् को नामित करने हेतु अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है। विद्यापरिषद् के उक्त निर्णयानुसार कुलपति एवं अध्यक्ष विद्यापरिषद् के द्वारा विद्यापरिषद् के निम्नांकित सदस्यों को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति में सदस्य नामित किया जाता है :-

01. प्रो० एल.पी. पटैरिया, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष-प्रबंध अध्ययन विभाग
02. डॉ० रश्मि अग्रवाल, सह-आचार्य एवं विभागाध्यक्ष-वानिकी विभाग
03. डॉ० सी. मिसला, सह-आचार्य, सिविल विभाग
04. डॉ० राकेश पाण्डेय, सहायक प्राध्यापक, शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त भौतिकी विभाग

उपरोक्त सदस्यों का कार्यकाल विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के शेष कार्यकाल अर्थात् 24.03.2016 तक के लिए होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ०क्रमांक 110 /बै.प्र./स्थायी समिति/2015

बिलासपुर दिनांक : 11/12/15

प्रतिलिपि -

01. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
02. कुलपति के सचिव की ओर कुलपति महोदया के सूचनार्थ प्रेषित।
03. संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
04. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव (कार्यवाहक)